न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

पत्र संख्या :—29/2018 दायर दिनांक: 05.04.2018

CIS NO:- 2018/00035

पीठासीन अधिकारी :—श्योराम (आर.ए.एस.)

1. पीर मोहम्मद पुत्र जुम्माशाह जाति मुसलमान निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. नन्हीं बाई पत्नी पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

—वादीगण—

बनाम

1. छीतर पुत्र भूरया जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

1/1. मोहन पुत्र छीतर जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

1/2. जमा बाई पत्नी छीतर जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

1/3. छोटा बाई पुत्री छीतर जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

2. मंगीलाल पुत्र बजरंगा जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. भू—स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य श्रीमान जिलाधीश महोदय, बून्दी।
5. रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

——प्रतिवादीगण—

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 251 ए एंव 188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति—

वादीगण एवं प्रत्यार्थीगण

निर्णय दिनांक 08.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम लाम्बाबरडा पटवार मण्डल लाम्बाबरडा तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या 95 की खसरा संख्या 66/01—00, 73/00—14 एवं 74/01—00 बीघा कुलकिता 3 कुल रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि ग्राम लाम्बाबरडा पटवार मण्डल लाम्बाबरडा तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या 94 की खसरा संख्या 68/01—08, 69/02—06 एवं 79/02—00 बीघा कुलकिता 3 कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि ग्राम लाम्बाबरडा पटवार मण्डल लाम्बाबरडा तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या 187 की खसरा संख्या 72/02—02 बीघा भूमि स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमियों में आने जाने के लिए एक रास्ता ग्राम लाम्बाबरडा से चल कर खसरा संख्या 77 व 76 में होता हुआ 75 व 76 की मेर पर होकर वादीगण की खातेदारी की भूमि में पहूंचता है। उस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि प्रतिवादीगण 1 ने गत सप्ताह से वर्णित रास्ते से वादीगण को निकलने नही दिया तथा रास्ते को फाडकर अपनी भूमि में मिलाने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा वादीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वादीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। ... वादीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। वादीगण ने अपने वाद पत्र ... जमाबंदी, नक्शा परिशिष्ट अ, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ—पत्र आदि पेश किये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:49 IST
Reason: SelfAttested

श्योराम

उपखण्ड अधिकारी

नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 09.02.2018 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं निर्णय दिनांक 03.06.2016 को निरस्त कर दिया गया है। जिसकी पालना में वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रतिवादीगण 5 लगायत 6 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण प्रतिवादीगण की भूमि ख0 सं0 63 में होकर रास्ता चाहते है जो कतई उचित है। इसलिये वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार वादीगण की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। नक्शा ट्रेश में बिन्दू संख्या A से B तक रास्ता मौके पर चालू है तथा प्रार्थी मौके पर बिन्दू संख्या B से C तक रास्ता चाहता है। वादीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 76 व 75 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि सिवायचक खसरा संख्या 76 रकबा 1.3591 है0 में से रकबा 528 फीट • 12 फीट = 6336 वर्गफीट = रकबा 5721 वर्गफीट= 0.0589 है0 तथा खसरा संख्या 75 रकबा 0.2589 है0 में से रकबा 12फीट • 12 फीट = 144 वर्गफीट भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 6480 वर्गफीट अर्थात 0.0603 है0 है। वैकल्पिक रास्ते के लिए ख0 सं0 70 व 62 के बीच की मेड पर दिया जा सकता है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट जैतपुर में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। वादीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम लाम्बाबरडा पटवार मण्डल लाम्बाबरडा तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या 95 की खसरा संख्या 66/01–00, 73/00–14 एवं 74/01–00 बीघा, खाता संख्या 94 की खसरा संख्या 68/01–08, 69/02–06 एवं 79/02–00 बीघा तथा खाता संख्या 187 की खसरा संख्या 72/02–02 बीघा भूमि पर पहुंचने के लिए सिवायचक खसरा संख्या 76 रकबा 1.3591 है0 में से रकबा 528फीट • 12 फीट = 6336 वर्गफीट = रकबा 5721 वर्गफीट= 0.0589 है0 तथा खसरा संख्या 75 रकबा 0.2589 है0 में से रकबा 12फीट • 12 फीट = 144 वर्गफीट भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 6480 वर्गफीट अर्थात 0.0603 है0 है।जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉं (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner